न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 257/2025
जीसीएमएस संख्या–2025/339

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रेवंतराम दत्तक पुत्र रामरख जाति माली निवासी पीपाड़ शहर		1.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
1. निर्मल कटारिया प्रार्थीगण ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 01/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3244/2345 क्षेत्रफल 0.4210 हेक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि स्थित है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2081 मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी सावणु फसल की बुवाई करता आया है। यह है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहता है प्रार्थी द्वारा विधिवत् रूप से वादग्रस्त आराजी का तहसील कार्यालय से सीमाज्ञान भी करवा रखा है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। यह है कि प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगा। अप्रार्थी संख्या एक को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3244/2345 क्षेत्रफल 0.4210 हेक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर सीमाकंन किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 3244/2345 भूमि का सीमांकन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवदेन करते हुए कहा कि ग्राम ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 3244/2345 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं पक्षकारान बहस पर मनन किया गया, जिसके आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल कटाई के पश्चात् ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 3244/2345 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 01/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर